

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) ()/अलेसे-11/ 115/2-16

दिनांक :- 25 जून 2013

शुद्धि - पत्र

विभाग के आदेश संख्या 16/2013-14 क्रमांक 161-245 दिनांक 9.4.2013 के क्रम संख्या 24 पर अंकित श्री नरेश कुमार सोनेटिया के नाम के आगे कालम संख्या 8 पर अंकित कार्यालय का नाम "सहायक निदेशक, कृषि जिला परिषद डूंगरपुर" के स्थान पर (उनके कनिष्ठ लेखाकार के पद पर क्रिटिकल जिलों में ग्यारह वर्ष तक कार्यरत रहने के कारण) "आयुक्त मिड डे मिल स्कीम, जयपुर" पढ़ा जावे।


निदेशक

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) ()/अलेसे-11/ 115/2-16

दिनांक :- 25 जून 2013

प्रतिलिपि:-

- 1 आयुक्त, मिड डे भील स्कीम जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित अभ्यार्थी द्वारा उनके कार्यालय में उपस्थिति देते समय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उपस्थिति स्वीकार की जावे तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था कराये।
- 2 सहायक निदेशक, कृषि, जिला परिषद, डूंगरपुर
- 3 श्री नरेश कुमार सुनोटिया/बेदीलाल, 207, विवेक विहार, जगतपुरा जयपुर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे निर्धारित तिथि को उक्त कार्यालय में दिनांक 25 जून 2013 तक आवश्यक रूप से उपस्थित होकर उपस्थिति रिपोर्ट सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 4 विशोषाधिकारी (कम्प्यूटर अनुभाग) वेबसाईट पर अपलोड हेतु
- 5 निजी सहायक, निदेशक
- 6 गोपनीय शाखा
- 7 रक्षित/निजी पत्रावली


अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)